

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3847
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

3847. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान मंत्रालय के परिव्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) तदनरूपी अवधि के दौरान मंत्रालय की योजनाओं पर वास्तविक व्यय कितना था;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जिला और क्षेत्रीय निकायों को दी गई प्रत्यक्ष सहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों द्वारा निवेश बढ़ाने/सुकर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

- (क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों की पूर्ति करता है। पिछले 10 वर्ष में बजटीय परिव्यय और व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-1(क) और (ख) में संलग्न है। फ्लैगशिप केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार व्यय अनुलग्नक-2(क), (ख), (ग) और (घ) में दिया गया है।
- (ग) और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 में समय बद्ध रूप में जीडीपी के 2.5 % के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्ति एनएचपी 2017 में यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्यों को अपने बजट के कम से कम 8% तक व्यय को बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18(ब.प्रा.) में 47,353 करोड़ रु से 82% बढ़ाकर वर्ष 2023-24 (ब.प्रा.) में 86175 करोड़ रु हो गया है। 15वें वित्त आयोग में स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु 70051 करोड़ रु के अनुदान प्रदान किए गए हैं।

अनुलग्नक 1 (क)

वर्ष 2013-14 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा बजटीय परिव्यय सहित किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रु में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक
2013-14	33278.00	27547.09	27145.29
2014-15	35163.00	29042.00	30626.31
2015-16	31050.00	32819.00	33121.39
2016-17	37061.55	38343.33	37671.30
2017-18	47352.51	51550.85	51381.89
2018-19	52800.00	54302.50	52953.94
2019-20	62659.12	62659.12	62397.08
2020-21	65011.80	78866.00	77569.33
2021-22	71268.77	82920.65	81779.85
2022-23	83000.00	76370.40	73378.54*
2023-24	86175.00	---	22440.25#

* दिनांक 31-03-2023 तक वास्तविक(अनंतिम)

दिनांक 31.07.2023) तक

वास्तविक(अनंतिम)

अनुलग्नक-1(ख)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

करोड़ रु में)

क्र सं	स्कीम/कार्यक्रम/संस्थान	वास्तविक 2013-1 4	वास्तविक 2014-1 5	वास्तविक 2015-1 6	वास्तविक 2016-1 7	वास्तविक 2017-1 8	वास्तविक 2018-1 9	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-2 3
1	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार (पीओआरबी)	1842.2 2	1799.8 1	1976.5 9	2238.0 8	2833.7 1	2983.0 0	3966.20	4236.86	4368.03	6420.2 2
2	अस्पताल	1205.3 1	1512.6 6	1540.2 2	1792.0 1	2351.4 8	2339.8 9	2753.19	3139.49	3195.30	3407.4 4
3	अन्य अस्पताल/संस्थान	430.40	470.95	512.14	592.94	737.27	700.32	759.39	716.22	736.47	840.58
4	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1273.2 4	822.03	1577.8 3	1953.1 6	3159.2 7	3796.5 1	4683.49	6839.80	9269.51	7533.1 4
5	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	1473.1 6	1287.3 9	1605.7 2	1749.1 6	2009.7 6	1803.2 0	2813.08	2815.45	2126.33	1997.5 5

6	राष्ट्रीय महत्व का संस्थान	2329.8 3	2688.4 3	3193.7 7		5090.6 4	5535.2 8	6000.23	5733.73	6375.15	7337.7 9
7	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	18351. 61	18039. 25	18971. 49	20316. 58	26842. 22	26363. 24	30836.8 8	31296.1 5	28300.3 7	31195. 84
8	विशिष्ट देखभाल कार्यक्रम/योजनाएँ	46.61	496.65	329.50	641.24	653.89	288.68	241.13	300.52	405.02	310.02
9	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	51.83	251.12	581.20	1496.5 6	4025	4213.7	3375.52	5386	5051.4	1974.8 7
10	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)					0	1997.9 2	3200	2680.57	3115.55	6185.8
11	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन (पीएम-एभीएम)									584.04	1228.3 5
12	अन्य विविध संस्थान/योजनाएँ	141.10	3258.1	2832.9 5	2806.4 7	3678.6 5	2932.2 1	3767.97	14424.5 5	18252.6 8	4946.9 4
	कुल - अनुदान	27145. 31	30626. 39	33121. 41	33586. 20	51381. 89	52953. 95	62397.0 8	77569.3 4	81779.8 5	73378. 54

अनुलग्नक-2 (क)

वित्त वर्ष 2013-14से वित्त वर्ष 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र द्वारा जारी राशि और व्यय को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

(करोड़ रु
में)

क्र सं	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.19	24.57	25.91	28.92	32.84	41.49	41.66	42.68	31.2	42.28
2	आंध्र प्रदेश	1092.88	943.92	1105.7	1287.04	1,555.50	1658.07	1820.15	2385.48	2448.67	1,914.34
3	अरुणाचल प्रदेश	92.76	70.84	147.41	165.42	165.75	168.74	186.21	209.06	248.51	424.78
4	असम	975.59	936.9	1212.25	1337.4	1,476.86	1571.54	1856.33	1846.86	2194.36	2,307.00
5	बिहार	1629.4	1575.09	1731.85	1619.2	1,820.14	1788.82	2842.26	2415.34	1905.35	3,717.81
6	चंडीगढ़	14.89	15.71	21.75	24.57	31.64	30.42	20.97	19.52	26.86	26.98
7	छत्तीसगढ़	820.03	727.76	769.33	999.33	1,180.27	1138.9	1464.47	1521.3	1833.45	2,152.45
8	दादरा और नगर हवेली	9.94	8.91	15.79	17.36	19.76	23.15	23.67	35.74	45.02	41.61
	दमन और दीव	8.45	7.78	10.14	10.24	10.63	14.67	11.36			
9	दिल्ली	145.18	236.38	150.05	155.15	251.37	156.47	173.28	210.83	237.79	1,037.33
10	गोवा	31.59	31.81	25.44	37.38	43.28	46.23	58.47	67.43	60.56	84.64
11	गुजरात	1046.88	980.98	1293.03	1395.67	1,593.16	1793.63	1864.73	1894.46	1835.81	2,292.35
12	हरियाणा	460.02	495.86	519.47	535.09	637.75	705.96	792.64	829.12	879.91	1,185.43
13	हिमाचल प्रदेश	164.23	317.59	283.9	346.58	377.08	441.38	469.6	425.58	525.09	567.83
14	जम्मू और कश्मीर	402.12	415.21	428.38	419.55	521.86	573.12	662.56	657.53	779.61	917.02

15	झारखंड	538.35	396.54	602.61	633.54	753.03	1039.07	1090.11	999.71	1176.55	1,495.17
16	कर्नाटक	861.84	964.8	1173.31	1291.49	2,016.65	1942.61	2384.28	2320.37	2200.92	2,376.94
17	केरल	686.83	525.32	644.09	744.98	936.35	1074.25	1023.94	1457.75	1230.96	1,592.96
18	लक्षद्वीप	2.29	1.38	2.75	4.33	6.2	5.85	6.55	6.99	7.26	9.29
19	मध्य प्रदेश	1633.24	1779.46	2071.36	2066.38	2,313.93	2531.87	3102.89	3397.82	3714.92	4,489.15
20	महाराष्ट्र	1858.16	1874.89	1791.17	1804.67	2,192.88	2714.86	3097.08	3503.62	4227.31	4,501.75
21	मणिपुर	75.29	87.68	108.55	81.4	110.51	146.46	196.06	112.79	154.09	214.69
22	मेघालय	72.72	74.45	138.83	152.85	169.14	159.81	166.24	213.36	227.08	319.08
23	मिजोरम	92.26	94.4	96.15	99.55	112.35	125.46	105.7	131.36	153.16	107.46
24	नगालैंड	91.9	66.21	82.56	95.17	95.55	142.55	130.37	159.72	192.16	161.93
25	ओडिशा	919.61	964.54	1222.92	1299.27	1,514.45	1673.91	2220.82	2347.24	2587.72	3,402.50
26	पुदुचेरी	26.07	24.48	22.37	38.41	38.83	40.13	44.21	47.32	46.36	48.51
27	पंजाब	451.43	472.37	660.24	695.31	639.53	739.07	923.31	908.98	918.96	1,054.39
28	राजस्थान	1499.23	1775.18	1840.75	1734.34	1,885.55	2309.53	2559.51	2943.21	3230.01	3,726.21
29	सिक्किम	45.16	41.97	51.23	50.62	43.48	59.38	54.84	52.06	46.06	68.05
30	तमिलनाडु	1489.2	2346.77	1650.45	1852.9	2,285.56	2533.41	2557.62	2172.33	3039.39	3,191.84
31	त्रिपुरा	102.92	133.33	121.2	143.14	202.79	199.86	208.37	249.74	237.24	287.20
32	उत्तर प्रदेश	3108.28	3896.69	4553.88	5120.68	6,569.43	6871.79	7453.9	7080.45	6210.2	8,828.29
33	उत्तराखंड	259.95	332.24	342.1	350.67	448.22	491.87	504.02	503.53	606.07	647.13
34	पश्चिम बंगाल	1309.74	1253.9	1589.75	1914.71	2,341.05	2236.34	2340.84	2598.62	2229.46	3,509.86
35	तेलंगाना	0	347.74	517.4	700.76	977.76	1078.7	949.96	1354.93	1556.65	1,756.96
36	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	38.56	62.81	109.67

नोट:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने दो उप मिशन अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) शामिल है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जेएंडके) के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठन के पश्चात, वर्ष 2020-21 के दौरान पहली बार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को एनएचएम निधियां वितरित की गई थीं।

प्रारंभ से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) स्कीम के तहत जारी
निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/वर्ष वार ब्यौरा

(करोड़ रु में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.41	0.27	0.76	1.00	-
आंध्र प्रदेश	182.85	374.07	261.23	223.95	480.89	238.98
अरुणाचल प्रदेश	2.31	-	0.67	-	3.80	-
असम	21.08	133.23	12.1	87.91	209.33	137.47
बिहार	88.27	82.49	0	59.77	145.51	-
चंडीगढ़	0.68	3.82	1.84	2.49	6.41	-
छत्तीसगढ़	217.43	280.37	112.62	66	352.94	138.25
दादरा और नगर हवेली	3.25	2.02	3.17	1.76	2.93	2.25
दमन और दीव	1.02	-	1.07	-	-	-
गोवा	0.64	0.06	0.49	0.6	0.53	-
गुजरात	77.5	212.33	99.84	330.55	660.15	-
हरियाणा	26.81	58.69	71.92	89.95	143.50	44.14
हिमाचल प्रदेश	17.18	19.12	32.93	33.71	64.32	-
जम्मू और कश्मीर	20.64	33.44	22.7	75.12	85.62	3.25
झारखंड	170.17	126.5	100.32	7.98	0.00	-
कर्नाटक	159.31	254.13	160.85	414.11	647.74	-
केरल	25	97.56	145.61	138.9	151.34	75.66
लद्दाख	-	-	1.62	0.51	1.92	-
लक्षद्वीप	-	-	-	0.31	0.15	0.06
मध्य प्रदेश	72.57	118.46	164.8	355.25	665.73	100.97

महाराष्ट्र	266.32	241.88	376.65	324.75	388.03	132.70
मणिपुर	7.18	17.1	11.45	22.5	38.55	-
मेघालय	15.57	18.07	49.52	22.28	47.31	2.7
मिजोरम	17.48	12.41	14.97	16.58	26.30	11.63
नगालैंड	4.72	10.89	12.27	14.09	21.69	11.05
पुदुचेरी	1.52	-	1.23	0.11	7.98	-
पंजाब	2.24	55.55	46.85	80.5	111.38	-
राजस्थान	-	200.07	258.31	96.39	416.96	291.83
सिक्किम	1.03	0.09	1.85	1.04	2.30	2.32
तमिलनाडु	304.98	441.77	359.81	75.14	578.67	263.20
तेलंगाना	-	-	-	150.26	173.54	66.33
त्रिपुरा	12.81	20.18	8.98	35.6	45.25	25.06
उत्तर प्रदेश	85.01	147.49	167.63	157.56	501.78	177.61
उत्तराखंड	12.54	30.73	40.52	54.23	65.11	30.07
पश्चिम बंगाल	31.28	-	-	-	-	-

नोट:

1. तेलंगाना मई 2021 में स्कीम में शामिल हुआ।
2. पश्चिम बंगाल ने जनवरी 2019 में स्कीम को छोड़ा
3. दिल्ली और ओडिशा एबी पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)

दिनांक 22.04.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए महामारी की तैयारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित करने, व्यापक नैदानिक और उपचार क्षमताओं को विकसित करने, और डायलिसिस सहित केंद्रीय अस्पतालों में सलाहकार संस्थानों की स्थापना सहित महत्वपूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षमता को तैयार करने के लिए 63544.56 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम-एबीएचआईएम को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत संसाधनों के आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

(रु करोड़ में)

घटक का प्रकार	2021-2 2	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	योग
केंद्रीय हिस्सा	2412.91	3942.80	3361.67	4495.12	7914.89	22127.3 9
राज्य का हिस्सा	1388.16	2276.34	1962.40	2655.64	4522.42	12804.9 5
15वें वित्त आयोग का हिस्सा	2026.98	2965.34	4000.04	4743.88	5536.19	19272.4 3
योग	5828.05	9184.48	9324.11	11894.6 4	17973.5 0	54204.7 7
केंद्र प्रायोजित घटक	3327.92	1280.61	1691.69	1656.65	1382.89	9339.78
महायोग	9155.97	10465.0 9	11015.8 0	13551.8 0	19356.4 0	63544.5 6

इसकी स्थापना के बाद से, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,303.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधियों की हिस्सेदारी से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों का प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। पूर्वोत्तर और होती है। इस योजना के अंतर्गत, तीन चरणों में कुल 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन के तहत जारी निधियों के साथ 157 मेडिकल कॉलेजों का विवरण

(करोड़ रु में)

राज्य	अनुमोदित कॉलेजों की सं	चरण-I	चरण - II	चरण -III	कुल
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	113.4			113.4
आंध्र प्रदेश	3			303.04	303.04
अरुणाचल प्रदेश	1	170.1			170.1
असम	5	680.4		292.5	972.9
बिहार	8	340.2	750		1090.2
छत्तीसगढ़	5	226.8		270	496.8
गुजरात	5			650	650
हिमाचल प्रदेश	3	510.3			510.3
हरियाणा	1	113.4			113.4
झारखंड	5	340.2	300		640.2
जम्मू और कश्मीर	7	850.5		323	1173.5
कर्नाटक	4			780	780
लद्दाख	1			127	127

मध्य प्रदेश	14	793.8	150	300	1243.8
महाराष्ट्र	2	113.4		150	263.4
मणिपुर	1			242.5	242.5
मेघालय	1	170.1			170.1
मिजोरम	1	170.1			170.1
नगालैंड	2	170.1		242.5	412.6
ओडिशा	7	567	150	100	817
पंजाब	3	113.4		100	213.4
राजस्थान	23	793.8	150	1500	2443.8
तमिलनाडु	11			2145	2145
उत्तर प्रदेश	27	567	1200	2632.24	4399.24
उत्तराखंड	4	170.1		877.5	1047.6
पश्चिम बंगाल	11	567	750	73.57	1390.57
सिक्किम	1		225		225
कुल	157	7541.1	3675	11108.85	22324.95
